अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 655(अ).—भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (2) के खंड (ककक) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, एतद्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना है, के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम को उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए लिया जाएगा,जिस तारीख को प्रारूप नियमों की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।

उन व्यक्तियों, जिनके प्रभावित होने की संभावना है, से आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप भवन, तृतीय तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियमों के संबंध में उपर्युक्त अवधि के भीतर प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

(1) इन नियमों को भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) संशोधन नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) नियम, 2015 में, जहाँ भी “मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती” शब्द आए हैं, उनकी जगह "बीमा मध्यवर्ती " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं.12018/02/2021-बीमा-II]

डॉ. देबाशीष पृष्टी, अतिरिक्त सचिव

नोट: मूल नियम को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप- खंड (i), अधिसूचना संख्या सा.का.नि.115 (अ), तारीख 19 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में इसे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 534 (अ), तारीख 3 जुलाई, 2015, सा.का.नि. 314 (अ), तारीख 16 मार्च, 2016, सा.का.नि. 619 (अ), तारीख 2 सितंबर, 2019, सा.का.नि. 337(अ), तारीख 19 मई, 2021 और सा.का.नि. 928 (अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2026

G.S.R. 655(E).—Draft rules to amend the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (aaa) of sub-section (2) of section 114 of the Insurance Act, 1938, read with section 3AA of the said Act, are hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken for publication in the Gazette of India after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the draft rules are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, from persons likely to be affected may be addressed to the Secretary, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, 3rd floor, Sansad Marg, New Delhi 110001.

Objections or suggestions that may be received from persons likely to be affected with respect to the draft rules within the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement:

(1) These rules may be called the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Throughout the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015, for the words "intermediary or insurance intermediary" wherever they occur, the words "insurance intermediary" shall be substituted.

[F. No. 12018/02/2021-Ins.II]

Dr. DEBASISH PRUSTY, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 115 (E), dated the 19th February, 2015 and were subsequently amended by notification numbers G.S.R. 534(E), dated the 3rd July, 2015, G.S.R. 314(E), dated the 16th March, 2016, G.S.R. 619(E), dated the 2nd September, 2019, G.S.R. 337(E), dated the 19th May, 2021 and G.S.R. 928(E), dated the 30th December, 2025

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.